[Shri N. E. Balaram]

I said because if we go into the past it will become politics.

What I am saying is: forget about politics. It is high time that you brought a legislation. Legislation means covering all these items,

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAII MASODKAR); I think the Minister is aware of the problem.

SHRI N. E. BALARAM: My only request is that this assurance should be a real assurance.

THE VICE-CHAIRMAN(SHRI BHASKAR ANNAII MASODKAR): Let us hope so. Every Minister comes with a real assurance.

श्री रामजी लाल सुमन : श्री बलराम जी की राय मेरे प्रति खराब न बने, इसलिए हम जितनी जल्दी हो सकेगा, इसको करेंगे ।

SHRI N. E. BALARAM: I am not pressing, Sir. I conclude.

The Bill was, by leave, withdrawn.

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1990 (insertion of new Article 16A.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAII MASODKAR): Now we proceed to the Constitution (Amendment) Bill to be moved by Shri S. S. Ahluwalia.

श्री सुरेन्द्रजीतसिंह अहलुवालिया (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि—

संविधान के अनुच्छेद 16 के पश्चात निम्नलिखित अनुच्छेद अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"16क. सब प्रौढ़ नागरिकों को काम का अधिकार होगा, अर्थात् गारंटीकृत रोजगार और काम के स्वरूप, मात्रा तथा कौशल के अनुसार किए गए काम के लिए भुगतान प्राप्त करने का अधिकार होगा ताकि उन्हें जीवन यापन के पर्याप्त साधन सुनिश्चित किए जा सकें।"

महोदय, हमारा मुल्क सारे विश्व में जनसंख्या के रूप में दूसरे स्थान पर आता है और 85 करोड़ की जनसंख्या लेकर आज मुल्क जिस अवस्था में खड़ा है, वह विचारणीय है । कभी लोग कहा करते थे कि देश के युवा आने वाले भविष्य के कर्णधार होते हैं । ये बातें सुनने में अच्छी लगती थीं । लेकिन आज जब बेकार युवा हाथों में ए.के.–47 लेकर घूमता है या मादक द्रव्यों का व्यापार करता है या गलत रास्ते में पड़ता है तो शर्म से माथा झुक जाता है ।

उपसभाध्यक्ष जी, हमारे मुल्क में आज की तारीख में 85 करोड़ जनता में से करीब-करीब 10 करोड़ वे लोग हैं जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 30 साल के बीच में आती है और इन युवाओं के भविष्य के बारे में अगर सोचा जाए तो बड़ा आश्चर्य होता है । हमें जो सरकारी आंकड़े मिलते हैं उनके अनुसार 849 एम्प्लायमेंट एक्सचेंजों में जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैट्रिकुलेट हैं, हायर सेकेण्डरी पास हैं, ग्रेजुऐट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, स्किल्डया अनस्किल्ड लेबर वगैरह हैं उनको मिलाकर करीब 3 करोड़ 27 हैलाख 76 हजार लोगों के नाम दर्ज । लोग नौकरी की तलाश में महीनों-महीनों एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में अपना नाम रेनेयू कराने के लिए घूमते फिरते हैं तो यह तो उनकी बात है जो पढ़े-लिखे हैं और जिनके पास सर्टीफिकेट हैं और जो एम्प्लायमेंट एक्सचेंज तक पहुंच सकते हैं । कभी उनके बारे में भी सोचिए जो एम्प्लायमेंट एक्सचेंज तक नहीं पहुंच सकते । जिनके पास सर्टीफिकेट नहीं है या रूरल एरियाज में, गांव में, देहातों में अभी तक सड़कें नहीं बनी हैं या जहां अभी तक एम्प्लायमेंट एक्सचेंज तक नहीं हैं । वहां भी युवक बेकार बैठे हुए हैं । इनको दस-दस मील पैदल चलकर फावड़ा चलाने का काम करना पड़ता है, कुदाल चलाने का काम करना पड़ता है । काम के अधिकार के बारे में हमारे संविधान में धारा 41 में कुछ कहा गया है पर आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई । इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं । एक तो यह कह दिया जाता है कि संविधान में ऐसा कोई क्लीयरकट प्रावधान नहीं है इसलिए 'राइट टू वर्क' को नहीं लाया जा सकता । दूसरे यह कह दिया जाता है

कि इन लोगों के काम के अधिकार के लिए जिन स्रोतों की जरूरत है, जिन आर्थिक व्यवस्था की जरूरत है वह हमारे पास नहीं है । उतना पैसा हमारे पास नहीं है, उतने रिसोर्सेज हमारे पास नहीं हैं इसलिए काम का अधिकार हम लागू नहीं कर सकते । इस देश में बहुत सारे कानून राजनीतिक लाभ लेने के लिए पास किये जाते हैं । काम के अधिकार को कई लोग राजनीतिक लाभ अर्जित करने के लिए जरूर प्रयोग करते हैं लेकिन आज तक यह कोशिश नहीं हुई कि यह काम का अधिकार वाकई लागू किया जाए । संविधान में अगर संशोधन करके लागू किया जाए तो कम से कम ये नौजवान जो बेकार हैं, जैसे अंग्रेजी में कहावत है कि idle mind is the devil's workshop. इससे तो बच जाएं । इनको भड़काने के लिए लोग कोई रास्ता न निकाल सकें । बेकार युवकों को भड़काने के लिए तरह-तरह के आकर्षण, प्रलोभन समाज में हैं । हमारे देश के अंदर इसके लिए विदेशी ताकतें लगी हुई हैं जिससे देश के युवा को भड़का कर देश की शक्ति को कमजोर किया जा सकता है, देश के टुकड़े किये जा सकते हैं । देश में रीजनलिज्म, सेक्यूलरिज्म की भावना जमाकर देश को कमजोर किया जा सकता है । पर मुख्य मुद्दा यह है कि काम का अधिकार देने के साथ-साथ मैं इतना गैर जिम्मेदार नहीं बन सकत कि मैं एक तरफ मांग करूं कि काम का अधिकार दिया जाए और दूसरी तरफ आपके माध्यम से सरकार को यह कहें कि काम का अधिकार कैसे हो सकता है । काम का अधिकार दिलाने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि काम ज्यादा से ज्यादा क्रिएट किये जाए, एम्प्लायमेंट क्रिएट किये जाएं और उसके लिए तरह-तरह के उद्योग लगाये जायें । जरूरी नहीं है कि लार्ज उद्योग शुरू किये जाएं । कुटीर उद्योग से काम शुरू कर सकते हैं । लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज लग सकती हैं जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम दिया जा सकता है । मेरे ख्याल से ऐसे यूनिट लगाने की जरूरत है जो लेबर इंटेसिव यूनिट हों जहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी दी जा सकती है । हम कोशिश करते हैं कि कम से कम लोगों को नौकरी देकर ज्यादा से ज्यादा काम करायें और उससे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमायें । पर यह कभी नहीं सोचते कि मुनाफे के चक्कर में ये जो समाज के पढ़े-लिखे युवा बेकार हैं, अगर इनको काम नहीं मिला तो यह कहीं खतरे की घंटी न बन जाए । यह समाज के लिए घातक हो सकते हैं । इन सारी चीजों को मद्दे नजर रखते हुए हम सोचते हैं कि सरकार में नौकरियों हों या गैर सरकारी कारखानों में काम ज्यादा से ज्यादा क्रिएट हों। उसमें कितने स्थान किस जाति के लिए, किस जाति विशेष के लिए और किस क्लास के लिए रिजर्व किये जायें, उसके लिए लड़ाई कर बैठते हैं । अफसोस की बात है कि गरीबी की कोई जाति नहीं होती है और गरीबी कोई जाति पूछ कर नहीं आती है । अफसोस की बात है कि कोई आदमी गरीब है । कोई यह नहीं कहता कि फलाना गरीब ब्राह्मण है या फलाना गरीब राजपूत है या गरीब यादव है या गरीब अहलुवालिया है । लोग कहते हैं कि फलाना गरीब है । कोई अपने गरीब रिश्तेदार के बारे में नहीं कहता है । गरीब रिश्तेदार का परिचय देने में विमुख हो जाता है । कहता है कि यह तो देहात का है । गरीबी के कारण खूनी रिश्ता भी टूट जाता है । इसलिए गरीबी को दूर करने के लिए हमें कुछ मुख्य-मुख्य काम करने पड़ेंगे । उसमें एक सबसे बड़ा रास्ता हमें आदमी को इम्प्लायमेंट देना होगा । इम्प्लायमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत पूरे जीवन में 18 साल से 30 साल की उम्र में होती है जब आदमी में इतनी शक्ति होती है कि वह ज्यादा से ज्यादा काम कर सकता है । इसी उम्र मे उसमें सबसे ज्यादा धैर्य होता है और वह अपनी बुद्धि, विवेक और शक्ति का उपयोग कर सकता है । इस बीच में उसको नौकरी नहीं मिलती है तो वह निराश हो जाता है । निराशा सिर्फ अपने परिवार के प्रति ही नहीं होती है, अपनी जाति के प्रति ही नहीं होती है, अपने समाज के प्रति भी होती है । इसी निराशा के कारण लोग युवकों का नाजा-

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया]

यज लाभ भी उठा सकते हैं और उनको भड़का कर गलत रास्ते में डाल सकते हैं ।

अगर हम ध्यान से देखें तो 1948 में जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन को हमने माना था तो हिन्दुस्तान भी उसमें शामिल था और हम उसके फाउन्डर मेम्बरों में से थे । हमने यह देखा है कि बड़े-बड़े मुल्कों में 'राइट टु वर्क' को फण्डामेंटल राइट के रूप में माना गया है । लेकिन हमारे भारत में आज तक इसको लागू करने में सिर्फ सोच विचार ही चल रहा है । कोई प्रधान मंत्री आते हैं तो एक नारा देकर घोषणा कर जाते हैं और कभी भी विधेयक नहीं लाते हैं । कोई प्रधान मंत्री आते हैं तो इस पर बिना विचार किये ही कह देते हैं कि इसको लागू नहीं किया जा सकता है । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब इस पर विचार करने की जरूरत है तब इस पर विचार नहीं किया जाता है । बाद में तो इसमें बहुत देर हो जाएगी ।

जिन मुल्कों में 'राइट टु वर्क' को फण्डामेंटल राइट के रूप में माना गया है वे हैं–अलबानिया, अल्जीरिया, अर्जेन्टायना, बोलीविया, बुलगारिया, चायना, जैकोस्लावाकिया, जी.डी.आर., ईजिप्ट, हंगरी, इराक, जापान, मंगोलिया, नार्थ कोरिया, पोलेण्ड, रोमानिया, यू.एस.एस.आर., वेनिजुला, यूगोस्लाविया आदि । जब हम इन नामों को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में यह बात आती है कि इनमें ज्यादातर मुल्क ऐसे हैं जिनकी आबादी बहुत कम है । लेकिन हम इस बात को भी देख सकते हैं कि अगर हम लेबर फोर्स का कम्पेरिजन करें तो हमें पता चलेगा कि इनमें एक देश चायना भी है जिसकी पोपुलेशन एक अरब है और जिसकी लेबर फोर्स 60 करोड़ है । वह 60 करोड़ लेबर फोर्स आर्गनाइज्ड किये हुए है जो कि उनकी टोटल पापुलेशन का 58.33 परसेंट आता है और वहीं पर भारत हैं... (व्यवधान) ...उपसभाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय उपस्थित हैं क्या ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्दभाई शाह) : मैं सुन रहा हूं ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : मैंने समझा सोमपाल जी से बात कर रहे हैं ।

उपसभाध्यक्ष जी, चाइना की एक अरब से ज्यादा पापुलेशन होने के बावजूद वहां की जो लेबर फोर्स है वह 60 करोड़ है और उस एक करोड़ के करीब-करीब हम भी पहुंचे हुये हैं । 85 करोड़ पापुलेशन हमारी है और उस 85 करोड़ में हमारी लेबर फोर्स सिर्फ 25 करोड़ है । क्योंकि हमारी कंट्री में मैन पावर प्लानिंग के बारे में कभी सोचा ही नहीं गया इसलिये इतनी लेबर फोर्स होने के बावजूद उसको आर्गनाइज्ड करके काम में लगाने के बारे में कभी भी नहीं सोचा गया । यह हमारी जो लेबर फोर्स है यह हमारी टोटल पापुलेशन का केवल 32.57 परसेंट आती है । यहीं पर हमें अपनी बात समझ में आती है कि आखिर कितना ध्यान हमने इस ओर दिया है । हमारा कंट्री, हम कभी सोचते हैं, मैं बिहार से आता हूं, बिहार में बहुत कोयला है, वहां बहुत आइरन ओर है । उसको निकाल-निकाल कर हमें प्राकृतिक संपदा जो मिली हुई है, उसको खोद-खोद कर, उसको निकाल-निकाल कर हम कहां-कहां डाल रहे हैं ? हमारी जनसंख्या भी एक प्राकृतिक संपदा है । यह शक्ति का स्रोत है और इस शक्ति के स्रोत को सही रास्ते में लगाने के लिये तरीका है कि उसको आर्गनाइज्ड किया जाय । उसे आर्गनाइज्ड तभी किया जा सकता है जब हम उसको नेटवर्क के अन्दर बांधकर रखें । अगर हम काम का अधिकार नहीं देते हैं तो यह जो शक्ति का स्रोत है, वह विनाश के स्रोत के रूप में परिणत हो सकता है, ये गलत रास्ते में चल सकते हैं । इन चीजों को मद्देनजर रखते हुये मैंने यह विधेयक लाने की कोशिश की है । मैं समझता हूं कि यह विधेयक बिना किसी राजनीतिक चाल के, बिना किसी राजनीतिक नारे के, बिना किसी राजनैतिक प्रेरणा के और बिना किसी राजनैतिक दबाव

के, कम से कम हम सदन में इस पर बहस कर सकते हैं ताकि हम अपने मुल्क का एक नया मार्गदर्शन कर सकें और जो हमारे मुल्क के 10 करोड़ युवक और युवतियां हैं, जिनकी उम्र 18 साल से 20 साल के बीच है और जो कोई भी काम करने के लिये उपयोगी हैं, उनको कम से कम हम नौकरी दे सकें । इसके लिये जरूरी सिर्फ काम का अधिकार ही नहीं बल्कि जैसा मैंने पहले बताया कि मैट्रिक, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट नौजवानों की संख्या कितनी है और उनको परिपक्व करने के बाद यह देखने के लिये कि वे कहां-कहां नौकरियां करें, कैसे करें, इसके लिये एक जाब ओरियेन्टेड सिस्टम भी लागू करना पड़ेगा । जाब ओरियटेशन एजूकेशन सिस्टम लाने से हम उनको स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं और यह पता कर सकते हैं कि हमारे मुल्क में सिर्फ सिर गिनने के लिये आदमी नहीं हैं बल्कि क्या-क्या काम कौन-कौन आदमी कर सकता है, इसको कम से कम हम तैयार कर सकेंगे । इसके लिये एक टोटल मशीनरी बन सकती है जिसको हम आर्ग-नाइज्ड वे में, जैसे विदेश में यदि लेबर सप्लाई की बात हो, आज भी जैसे कि हमारे मुल्क में बहुत सारे ट्रैवलिंग एजेंट हैं जो विदेशों को लेबर सप्लाई करते हैं । उनका सरकार और देश से कोई मतलब नहीं है । आपको आश्चर्य होगा कि इतने लोग गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं । वहां पर लाखों डालर कमाते हैं पर वह डालर कभी भी चेनलाइज होकर स्टेट बैंक के माध्यम से हमारे देश में नहीं आते ।

5.00 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Are you finishing, Mr. Ahluwalia? You want to conclude or you would like to continue because the Private Members' time is over.

SHRI !5. S. AHLUWALIA: I will continue next time.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Now we will proceed with our regular business. Special Mentions.

SHRl A. G. KULKARNI (Maharashtra): Sir, I just want one clarification. Now you are taking up Special Mentions. Is there any chance for clarifications on Mr. Sinha's statement? If it is not there please tell us,

THE VICE-CHAIRMAN (SHRl BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Mr. Sinha is here.

SHRI A. G. KULKARNI: No, Mr. Sinha is here, but the point is....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRl BHASKAR ANNAJI MASODKAR): I must say there is a very long list. About 25 Members want to ask clarifications and out of them.... *(Interruption).*

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): Sir, how many are present?

THE VICE-CHAIRMAN; It is very difficult to say. Therefore, it will not be over today.

SHRI YASHWANT SINHA: No, Sir, it will be over.

SHRI A. G. KULKARNI: My question is different. Are you permitting Special Mentions first?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Yes.

SHRI A. G. KULKARNI: That means, it will take another half-an-hour because there are five-ten Members. They want to ask clarifications. Mr. Sinha, please sit down. Otherwise, I have to sit down in your respect. We will do justice *to* Mr. Sinha also. Many issues have been brought in which are very important issues and further they will be brought in because there are experts here of Economics. What I want to say is whether we can complete that whole exercise today or not. If not, then does it go to Wednesday?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR); It goes to Wednesday the next year. We are taking it up in the new year.

SHRI A. G KULKARNI: At least, Mr. Sinha must know that he has to reply

[Shri A. G. Kulkarni]

on Wednesday and we must know that... *(Interruptions)*.

THE VIGE-CHAIRMAN(SHRl BHASKAR ANNAJI MASODKAR); ln the new year, he will reply.

SHRI YASHWANT SINHA; Sir, may 1 have a word on this? Sir, may 1 make a submission on this? Some very important comributions to the debate were made by hon. Members yesterday through their clarifications. Now if we postpone ii today, tile next week's business, after starting on Wednesday as you know, is very heavy and I do not want that the same thing should happen to this debate that happened to the famous Industrial Policy Hesolution, which came in the last Session.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): That depends *on* you.

SHRI YASHWANT SINHA; I am saying botjj as Finance Minister and as Leader of i!he House that I do not want the same fate to overtake this debate and therefore. I would very humbly request that if we can spare the time—and I perceive vt!ry distinguished Members who have nude very important contributions, they are here—we should take it up and try to finish it today. That will be my plea with the House.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): If everybody agrees, we can sit late..

SHRI A. G. KULKARNI: Why don't you postpone the Special Mentions to Wednesday?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Special Mentions have already started. What is the sens: of the House? Are we sitting late?

SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR (Uttar Padesh): I think, today, we should sit up to 6.00 P.M. This can be postponed to Wednesday. In case it is necessary, we can sit up to 7.00 PM or 8.00 pM on tha' lay. That way, we can do justice to your department and justice to tht people's demand also.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRl BHA-SKAR ANNAJI MASODKAR); Hon Members will know that on Wednesday, we are also taking up communal situation. That will occupy a better part of the day

SHRI MAKHAN LAL FOTEDAR: We can sit up till 7 or 8.00 P.M. that day.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRl BHASKAR ANNAJI MASODKAR): If every body agrees, I have no objection.

SHRI YASHWANT SINHA: As far as I am concerned, I am in the hands of the House. I wilj go by the sense of the House just as you will go by the sense of the House. I have made my submission and if the House feels that we can postpone it...

SHRI N. K. P. SALVE (Maharashtra): What would the Leader of the House suggest, Sir? How long do we sit today, Mr. Leader?

SHRl S. B. CHAVAN (Maharashtra): May I submit, Sir, that today being a Friday, a number of Members would be going to their constituencies and it would lie very difficult for them to sit for a longer pet tod and that is why the best thing will be to finish the list of all those who would like to seek clarifications and the reply may be given on the next Wednesday.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Let us
take the sense of the House_

SHRI YASHWANT SINHA: The suggestion which the hon. Member, Mr. Chavan, has made, Sir, is very important. If this be the formula, then I am quite willing to accept it. Let us finish with the clarifications today and let the reply be on Wednesday. Then *k* will take a short time. I will speak for 15 to 20 minutes. But let us finish with the clarifications. My fear T would like to repeat, is that we may not be able to finish this business and we may go beyond today.